

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1588.43	319.20	1907.63	1859.35	353.00	2212.35	1336.57	758.80	2095.37	1495.19	749.31	2244.50
<i>वसूलियां</i>	-0.41	-150.57	-150.98	...	-170.00	-170.00	...	-150.00	-150.00	...	-175.00	-175.00
<i>प्राप्तियां</i>	-368.95	...	-368.95	-340.00	...	-340.00	-360.00	...	-360.00	-360.00	...	-360.00
निवल	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	54.50	...	54.50	77.00	...	77.00	75.14	...	75.14	80.00	...	80.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. लघु पत्तनों का विकास												
2.01 लघु पत्तन	58.01	59.99	118.00	75.90	58.00	133.90
3. अनुसंधान एवं विकास	0.19	...	0.19	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-पत्तनों का विकास	58.20	59.99	118.19	76.90	58.00	134.90	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
सागरमाला												
4. सागरमाला												
4.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	95.82	...	95.82	251.00	...	251.00	293.68	...	293.68	412.79	...	412.79
4.02 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	51.04	...	51.04	50.00	...	50.00
4.03 सागरमाला विकास कंपनी	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
4.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना (सीआरआईएफ) निधि को अंतरण	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
4.05 सीआरआईएफ से व्यय	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	<i>146.86</i>	<i>100.00</i>	<i>246.86</i>	<i>301.00</i>	<i>100.00</i>	<i>401.00</i>	<i>293.68</i>	<i>100.00</i>	<i>393.68</i>	<i>412.79</i>	<i>...</i>	<i>412.79</i>
पोत और पोत निर्माण,												
5. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	150.15	...	150.15	101.00	...	101.00	101.00	...	101.00	112.00	...	112.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
6. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	193.20	...	193.20	252.10	...	252.10	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. आईडब्ल्यूएआई परियोजना												
7.01 ईएपी घटक	231.50	...	231.50	150.00	...	150.00
7.02 कार्यक्रम घटक	30.00	...	30.00	145.00	...	145.00
7.03 ईवीआर के तहत व्याज	76.42	...	76.42	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़- आईडब्ल्यूएआई परियोजना	337.92	...	337.92	371.50	...	371.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	531.12	...	531.12	623.60	...	623.60	96.50	...	96.50	96.50	...	96.50
8. वास्तविक वसूलियां	-0.41	...	-0.41
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	885.92	159.99	1045.91	1102.50	158.00	1260.50	492.18	100.00	592.18	622.29	...	622.29
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	9.60	...	9.60	10.60	...	10.60	9.00	...	9.00	11.00	...	11.00
10. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
11. कोलकाता पत्तन न्यास	203.82	...	203.82	183.00	...	183.00	183.00	...	183.00	195.10	...	195.10
12. छोटे बंदरगाहों का विकास	75.69	...	75.69	75.70	...	75.70
13. भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण												
13.01 केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	100.00	100.00
13.02 सीआरआईएफ से पूरी की जाने वाली आईडब्ल्यूएआई निवेश	-100.00	-100.00
13.03 निवेश	483.80	483.80	...	544.31	544.31
जोड़- भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण	483.80	483.80	...	544.31	544.31
जोड़-स्वायत्त निकाय	213.42	...	213.42	194.60	...	194.60	268.69	483.80	752.49	282.80	544.31	827.11
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	21.10	...	21.10	25.00	...	25.00	25.10	...	25.10
अन्य												
15. नौवहन महानिदेशालय	95.72	8.64	104.36	120.25	25.00	145.25	140.56	25.00	165.56	125.00	30.00	155.00
16. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
16.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	317.36	50.57	367.93	340.00	70.00	410.00	360.00	50.00	410.00	360.00	75.00	435.00
16.02 वसूली	...	-50.57	-50.57	...	-70.00	-70.00	...	-50.00	-50.00	...	-75.00	-75.00
16.03 प्राप्तियां	-368.95	...	-368.95	-340.00	...	-340.00	-360.00	...	-360.00	-360.00	...	-360.00
निवल	-51.59	...	-51.59
जोड़-अन्य	44.13	8.64	52.77	120.25	25.00	145.25	140.56	25.00	165.56	125.00	30.00	155.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	278.65	8.64	287.29	339.85	25.00	364.85	409.25	508.80	918.05	432.90	574.31	1007.21
कुल जोड़	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50
ख. विकास शीर्ष												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	151.48	...	151.48	103.00	...	103.00	103.00	...	103.00	114.00	...	114.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	331.40	...	331.40	521.50	...	521.50	536.87	...	536.87	645.59	...	645.59
3. नौवहन	116.74	...	116.74	146.25	...	146.25	141.56	...	141.56	151.10	...	151.10
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	531.12	...	531.12	524.50	...	524.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	53.02	...	53.02	75.00	...	75.00	73.14	...	73.14	78.00	...	78.00
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	159.99	159.99	...	158.00	158.00	...	100.00	100.00
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	8.64	8.64	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	30.00	30.00
8. अंतर्देशीय और जल परिवहन पर पूंजी परिव्यय	399.00	399.00	...	444.51	444.51
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1183.76	168.63	1352.39	1370.25	183.00	1553.25	931.07	524.00	1455.07	1065.19	474.51	1539.70
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	99.10	...	99.10	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	35.31	...	35.31	50.00	...	50.00	25.50	...	25.50	50.00	...	50.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	84.80	84.80	...	99.80	99.80
जोड़-अन्य	35.31	...	35.31	149.10	...	149.10	45.50	84.80	130.30	70.00	99.80	169.80
कुल जोड़	1219.07	168.63	1387.70	1519.35	183.00	1702.35	976.57	608.80	1585.37	1135.19	574.31	1709.50

(₹ करोड़)

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			बजट 2021-2022			बजट 2022-2023		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
ऋण सहायता समितियों को उधार												
1. कोचीन बंदरगाह न्यास	...	17.11	17.11	...	33.07	33.07	...	24.47	24.47	...	23.88	23.88
2. पाराद्वीप बंदरगाह न्यास	...	206.13	206.13	...	109.50	109.50	...	109.00	109.00	...	162.64	162.64
3. वोचिदम्बरन बंदरगाह न्यास	...	71.08	71.08	...	232.06	232.06	...	70.30	70.30	...	98.05	98.05
4. जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह न्यास	...	726.84	726.84	...	2197.41	2197.41	...	1588.40	1588.40	...	1868.92	1868.92
5. न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यास	...	12.63	12.63	...	11.11	11.11	...	17.26	17.26	...	18.54	18.54
6. चेन्नई बंदरगाह न्यास	...	32.13	32.13	...	83.46	83.46	...	56.05	56.05	...	40.31	40.31
7. मुम्बई बंदरगाह न्यास	...	213.48	213.48	...	338.21	338.21	...	343.60	343.60	...	261.20	261.20
8. दीनदयाल बंदरगाह न्यास कांडला	...	260.56	260.56	...	543.55	543.55	...	473.30	473.30	...	726.01	726.01
9. मोरमंगांव बंदरगाह न्यास	...	5.27	5.27	...	85.34	85.34	...	29.27	29.27	...	84.38	84.38
10. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास	...	78.97	78.97	...	290.09	290.09	...	104.70	104.70	...	207.99	207.99

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
11. कामराजर बंदरगाह न्यास	...	94.57	94.57	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	250.00	250.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	483.80	...	483.80	544.31	...	544.31
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	473.85	473.85	...	400.00	400.00	...	300.00	300.00	...	400.00	400.00
14. भारतीय पोत निगम	...	204.39	204.39	...	80.00	80.00	...	150.00	150.00	...	80.00	80.00
15. स्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता	...	255.47	255.47	...	213.32	213.32	...	217.57	217.57	...	238.41	238.41
16. सागरमाला विकास कंपनी	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़-ऋण सहायता समितियों को उधार	...	2652.48	2652.48	100.00	4817.12	4917.12	583.80	3683.92	4267.72	544.31	4460.33	5004.64
जोड़	...	2652.48	2652.48	100.00	4817.12	4917.12	583.80	3683.92	4267.72	544.31	4460.33	5004.64

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।
- अनुसंधान एवं विकास (पत्तन):** यह प्रावधान पोत प्रावधान के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजनाओं पर व्यय के लिए है।
- सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता, अनूठी नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के लिए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित इस परियोजना से बुनियादी ढाँचे के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटने, मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का दोगुना हिस्सा, लॉजिस्टिक कोस्ट सेविंग उत्पन्न करने, माल निर्यात को बढ़ावा देने और नई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। इसमें छोटे बंदरगाहों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई की परियोजनाओं के लिए है।
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों आदि के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
- कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग के लिए सन्निडी के भुगतान के लिए है।
- भारतीय अंतःस्थलीय जल परिवहन प्राधिकरण:** यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) का गठन अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। IWAJ मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (NWS) के बुनियादी ढाँचे के विकास और विनियमन का

कार्य करता है। एनडब्ल्यू में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रावधान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की ईपी परियोजनाओं पर व्यय शामिल है जिसमें जेएमवीपी के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशनिंग शामिल है। इसमें शामिल हैं (i) एमएमटी, वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नए नेविगेशन लॉक का निर्माण; (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण; (v) वाराणसी-गाजीपुर के बीच 2.2 मीटर, गाजीपुर-बाइ के बीच 2.5 मीटर और बाइ-हल्दिया के बीच 3.0 मीटर की सुनिश्चित गहराई; (vi) रो-रो टर्मिनलों का विकास; (vii) आरआईएस और डीजीपीएस सहित सूचना और संचार सुविधाएं; और अन्य सहायक घटक। यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। इस प्रावधान का एक हिस्सा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी पूरा किया जाता है।

14. **शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान मिनिकॉय-कोचीन-तूतीकोरिन-माले मार्ग में भारत और मालदीव के बीच समुद्र द्वारा कार्गो और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

15. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान शिपिंग महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए है, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह मर्चेंट शिपिंग कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियामक कार्य करता है। निदेशालय नाविकों का कल्याण भी देख रहा है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी सहित समुद्री आपात कोष और डीजी शिपिंग ऑनलाइन परीक्षा व्यय के प्रशासन के लिए भी है।

16. **दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** लाइटहाउस और लाइटशिप ऑर्गनाइजेशन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नौवहन सहायता प्रदान करता है, जैसे कि हल्के जहाजों, ध्वनि संकेतों, बाँय, रेडियो बीकन इत्यादि। यह लाइटहाउस के निर्माण और रखरखाव और जहाजों के मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। पूंजी प्रावधान प्रकाशस्तंभों और अन्य नौवहन सहायता के निर्माण और विकास के लिए है। यह भारतीय प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए हल्के बकाया से पूरा किया जाता है। व्यय का मिलान वसूली और प्राप्तियों से किया जाता है।